

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता - ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.

गुण्डा नियंत्रण अपील संख्या 04/2017

अपीलान्टस
नरेश कुमार पुत्र श्री नथूमल, जाति
सिंधी, निवासी शास्त्री नगर,
बाडमेर, पुलिस थाना कोतवाली
बाडमेर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाडमेर।

गुण्डा नियंत्रण अपील अन्तर्गत धारा 06 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975
विरुद्ध आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी मुकदमा संख्या
03/2016 में दिनांक 3.10.2017 को पारित किया गया।

उपस्थिति:-

- 1- श्री राहुल शर्मा, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
- 2- श्री ओम प्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक:- 12.9.2018

प्रस्तुत गुण्डा नियंत्रण अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाल जिला बाडमेर में राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम (आर.पी.जी.ओ) के तहत वर्ष 2009 से 2011 के दरम्यान कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं। सभी प्रकरणों में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर रिहा किया गया। उक्त दर्ज प्रकरणों में परिवीक्षा पर छोड़ दिये जाने पर अपीलान्ट को अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर ने अपने आदेश दिनांक 3.10.2017 के द्वारा राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (5)(8) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्ट को 3 माह की अवधि के लिये बाडमेर जिला की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस अधीक्षक, जालोर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट के द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन कि अपीलान्ट पर पुलिस विभाग के द्वारा यह आरोप आरोपित किया है

राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम (आर.पी.जी.ओ) के तहत वर्ष 2009 से 2011 के दरम्यान कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं। सभी प्रकरणों में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर रिहा किया गया। इसके बावजूद पुलिस विभाग द्वारा अपीलान्त पर सिद्ध दोष मानते हुए अपीलान्त को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मानते हुए, जो समाज के विरुद्ध है और जिससे लोक शान्ति भंग होती है, अतः उसके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर द्वारा अपीलान्त को गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्त को 3 माह के लिए जिला बाडमेर की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस थाना जालोर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये गये जबकि अपीलान्त को धारा 3 के तहत नोटिस जारी होने से 7 वर्ष पूर्व तक कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर के द्वारा अपीलान्त के प्रकरण में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के आधार पर मान्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि धारा 3 के तहत जारी नोटिस दिनांक के छः माह पूर्व तक अपीलान्त के विरुद्ध कोई मुकदमा न तो दर्ज हुआ है और न ही किसी प्रकार की सजा हुई है जिसके आधार पर उन्हें गुण्डा घोषित किया जा सके। इस प्रकार बिना किसी विधिक आधारों के पारित आदेश गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्त वर्तमान समय में मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अपीलान्त ने समाज की मुख्य धारा में जीवन जीना प्रारम्भ कर दिया है। अपीलान्त के अच्छे प्रयास को देखते हुए अपीलान्त के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्त की अपील को स्वीकार किया जावे।

राज्य पक्ष रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने लिखित प्रत्युत्तर पेश करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्त के विरुद्ध विभिन्न समय में राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम (आर.पी.जी.ओ) के तहत जो प्रकरण तत्समय में दर्ज हुए तथा उन मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने पर परिवीक्षा अधिनियम के तहत छोड़ा गया है। अपीलान्त पर लगाये गये आरोपों से सिद्ध है कि अपीलान्त एक आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम (आर.पी.जी.ओ)के तहत अपराध किये हैं, अतः अपीलान्त के समाज विरोधी कृत्यों को देखते हुए उसके विरुद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के

बिन्दू संख्या 5 का उल्लंघन किया जाना माना है। जबकि उक्त आपराधिक प्रकरण अपीलान्ट के द्वारा 7 वर्ष से पूर्व कारित किये गये है। राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975- "गुण्डा" परिभाषा- धारा 3 के तहत कार्यवाही के तुरन्त पूर्व अपीलार्थी ने धारा 2(ख) के तहत छः माह के भीतर कोई अपराध नहीं किया। प्रमाणिक तिथि वह होती है जब धारा 3 के तहत नोटिस जारी किये जाते है। ऐसे मामलों में की गयी कार्यवाही पूर्णरूपेण अधिकारिता विहीन है और विधि की दृष्टि में शून्य है।

वर्तमान प्रकरण में कोई भी आपराधिक प्रकरण धारा 3 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व छः माह की अवधि के भीतर नहीं आते है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलान्ट के वर्तमान चरित्र एवं गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 में दिये गये प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, जिसका अभाव अपीलाधीन आदेश में पाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रे के प्रकरण संख्या 3/2016 अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2017 निरस्त कर प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन (Observation) के अनुसार कार्यवाही कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान पुनः आदेश विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 12.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर